

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो
इस हुक्म की तामिल में जारी
हुये

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपरिथत। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 के संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र o-1, R-9,13 एवं o-11,R-12,14 सपठित धारा 141, 151 सीपीसी एवं प्रार्थीगण द्वारा भूमि बेचान करने से खरीदकर्ता संपत्ति क्रय-विक्रय केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड जयपुर जरिये प्रोपराईटर तेजपाल सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र o-1 R-10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पर वहस सुनी गई।

उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि ग्राम बेडा II के खातेदार द्वारा अपनी धारित खातेदारी भूमि ग्राम बेडा—A के खसरा नंबर 3741/2 रकबा 2.09 हैक्टर पर बोई फसलो की सुरक्षा के लिये भूमि की सीमा पर तारबंदी कराने के उद्देश्य से सीमा जानकारी का आवेदन तहसील कार्यालय, बाली में पेश किया गया। प्रार्थीगण के सीमाज्ञान के आवेदन पर तहसीलदार, बाली के आदेश से पटवारी हल्का, बेडा द्वितीय एवं निरीक्षक भू0अ0 बेडा दिनांक 28.4.2025 को मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँच कर सीमांकन की कार्यवाही कर एक मौका फर्द दिनांक 28.4.2025 को मौके पर बनाई गई। मौका फर्द के अनुसार मौके पर सीमा सबन्धी विवाद होने के कारण सीमाज्ञान करना संभव नहीं है, तथा विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण के सीमाज्ञान के आवेदन पर सीमाज्ञान नही होने से प्रार्थीगण के पास अपनी धारित खातेदारी भूमि की पत्थर गढी के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थीगण द्वारा उक्त पत्थर गढी का आवेदन किया गया। जिस आवेदन पर पडौसी खसरा नंबर 3741/1 रकबा 11.00 हैक्टर के खातेदार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र o-1, R-9,13 एवं o-11,R-12,14 सपठित धारा 141, 151 सीपीसी पेश कर इस आशय की आपत्ति लगाई गई कि प्रार्थी ने मात्र खसरा नंबर 3741/1 के खातेदार को ही पक्षकार बनाया है, जबकि पडौसी खसरा नंबर 3740, 3741, 3742 के खातेदारानु को पक्षकार नहीं बनाया है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पक्षकारो के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नहीं होने खारिज योग्य हैं। प्रार्थीगण की खरिदशुदा खातेदारी भूमि मूल खसरा नंबर 3741 रकबा 15.01 हैक्टर का भू0 भाग है, जिसके मूल खातेदार हरजी पुत्र राईगा रेबारी रहे है। प्रार्थी पक्ष जब तक भूमि हस्तान्तरण विलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं करता, तब तक प्रार्थीगण कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते हैं। वकील प्रार्थी श्री दुदाराम चौधरी की दलील रही है कि अप्रार्थी ने अकारण ही आपत्ति लगाई हैं। क्योंकि खसरा नंबर 3741 के खातेदारो को पत्थर गढी पर कोई आपत्ति नहीं है, तथा खसरा नंबर 3742 की भूमि सिवायचक भूमि हैं। प्रार्थीगण खसरा नंबर 3742/2 के सद्भाविक काश्तकार है, जिनको अपनी भूमि पर बोई फसलो की सुरक्षा के लिये तारबंदी करवाने के लिये पत्थरगढी करवाना अति आवश्यक है, इस हेतु प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान का आवेदन भी तहसील कार्यालय में पेश किया था, परन्तु मौके पर विवाद होने से सीमाज्ञान नहीं होने से उक्त आवेदन पेश किया है, जो विधि



3
सहायक कलक्टर एवं पढ़ेने
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सम्मत तरीके से प्रस्तुत है, जिस प्रार्थना पत्र पर उक्त आदेश जारी किये जाने की दलील दी। इसके साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि वर्तमान में खसरा नंबर 3741/2 रकबा 2.09 हैक्टर की भूमि क्रय विक्रय केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा खरीद की गई है, जिससे वर्तमान में वादग्रस्त भूमि बेडा-11 के खसरा नंबर 3741/2 रकबा 2.09 हैक्टर के खातेदार क्रय विक्रय केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज हो चुके है, जिससे इनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश -01 नियम 10 (2) सी.पी.सी. को स्वीकार करते हुये खरिदकर्ता खातेदार क्रय विक्रय केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर को बतौर प्रार्थी प्रकरण में प्रतिस्थापित किये जाने की दलील दी। इस पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति की गई। परन्तु खरिदकर्ता वर्तमान में खसरा नंबर 3741/2 का रेकर्डेड खातेदार होने से सी.पी.सी. के प्रावधानों पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र आदेश -01 नियम 10(2)सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये प्रकरण में प्रार्थना पत्र शीर्षक पर बतौर प्रार्थी प्रियंका वगैरा की बजाय प्रार्थी क्रय विक्रय केन्द्र प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर प्रस्थापित किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद ग्राम बेडा के खसरा नक्शा एवं जमाबंदी में दर्ज इन्द्राज का अवलोकन करते है, तो ज्ञात है कि खसरा नंबर 3741/2 के पश्चिम की तरफ खसरा नंबर 3742 है, जो कि राजकीय सिवायक भूमि है, जिनकी और से पैरोकार सरकार प्रकरण में पैरवी कर रहे है, नीचे की तरफ खसरा नंबर 3740 है, जो खसरा नंबर 3741/2 की आकृति त्रिकोनी होने से मात्र नगण्य रकबा भूमि ही खसरा नंबर 3740 की प्रभावित होती है। खसरा नंबर 3741/2 के दक्षिणी पूर्वी माठ अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3741/1 एवं उत्तरी पूर्वी माठ खसरा नंबर 3741 से जुडती हुई है। जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार पत्थर गढी के आदेश पारित किया जाना न्याय संगत है। तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 3741/2 के जमाबंदी में दर्ज रकबा के अनुसार नाप चौक करते हुये पडौसी खसरा नंबर 3742 (राजकीय सिवायक भूमि) एवं खसरा नंबर 3741/1 एवं 3741 (जो कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है) की सीमाओं पर राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111, 128 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही सुनिश्चित करे। तहसीलदार, बाली को 1000/-रुपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार, बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाली बाद पालना पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



सहायक जज एवं पट्टेन
जयपुर जिला, बाली